आज दिनांक 31.01.2023 को सांय 04:00 बजे माननीय प्रमुख सचिव बेसिक / माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में बोर्ड परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराने के लिये एक अतिमहत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में ए0डी0जी0 एस0टी0एफ0 श्री अमिताब यश, डी0जी0 स्कूल शिक्षा श्री विजय किरन आनन्द, विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा डा0 रूपेश कुमार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डा0 महेन्द्र देव, सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद श्री दिव्य कांत शुक्ल एवं अन्य अधिकारीगण बैठक में उपस्थित रहे। बोर्ड परीक्षा को सकुशल सम्पन्न करने के विभिन्न निर्णय लिये गये जो कि निम्नवत् है–

- सभी जिलाधिकारियों द्वारा परीक्षा केन्द्रों में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों की क्रियाशीलता की जॉच करायी जाय साथ ही बोर्ड द्वारा जो प्रबन्धन व्यवस्था की गयी उसकी पूरी निगरानी करायी जाय।
- ए0डी0जी0 एस0टी0एफ0 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि पूर्व अनुभव एवं वर्तमान इनपुट के आधार पर ऐसे लोगो की गतिविधियों पर कडी नजर रखी जा रही है और किसी प्रकार की गडबडी करने वाले व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा एस0टी0एफ0 से समन्वय स्थापित करते हुये ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाय जो कि नकल कराने की गतिविधियों से संलिप्त पाये जाते है या नकल माफियाओं से साठ–गाठ करके परीक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के निरोधात्क कार्यवाही की जाय।
- परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व समस्त छात्र–छात्राओं का प्रवेश सुनिश्चित कर लिया जाय इसमें किसी प्रकार का विचलन न किया जायेगा।
- सभी जनपदों में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक एवं वाह्य केन्द्र व्यवस्थापकों को नियुक्त करते हुये उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
- किसी जनपद में नकल माफिया परीक्षा के संचालन में बाधा पहुचाने या किसी भी तरह से परीक्षा की व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, तो उनके विरूद्ध गैगस्टर एक्ट के तहत अछादित करते हुये कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुये कुडकी आदि की भी कार्यवाही की जायेगी। कानून व्यवस्था को बाधित करने के कारण जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून(एन0एस0ए0) के अर्न्तगत निरूद्ध किया जायेगा।
- परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा के 15 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र खोलते समय स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापक एवं वाह्य केन्द्र व्यवस्थापक उपस्थिति अनिवार्य होगी । तीनों में से किसी के अनुपस्थित होने पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं कठोर कार्यवाही की जायेगी। अनुपस्थिति की दशा में प्रश्न पत्र को खोलने हेतु जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी।
- स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक पुलिस व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक निर्देशित किया गया।
- यदि किसी व्यक्ति द्वारा अनाव्यश्क रूप से भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर फैलायी जाती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी सुसंगत कार्यवाई की जायेगी।
- कन्ट्रोल रूम से किसी भी प्रकार की प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने पर उनकी छानबीन करते हुये शिकायत पर तत्काल कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाये।
- सी0सी0टी0वी0 की निगरानी में ही प्रश्न पत्र के पैकेट खोले जाय एवं निर्धारित एस0ओ0पी0 के अनुसार ही कार्यवाही की जाय।
- परीक्षा को कुशलता पूर्वक सम्पन्न कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिला विद्यालय निरक्षक एवं जिला प्रशासन का होगा।
- जिलाधिकारी एवं पुलिस अधिक्षक द्वारा अभी से केन्द्रों की निगरानी की जाय एवं पूर्ण सतर्कता बरती जाय।